परिपत्र संख्या 04/2019

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/विविध/2019/ 3661 दिनांक : 08.02.2019

–:: परिपत्र ::–

विषय : दस्तावेजों को सेटलमेन्ट विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण कर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण करने के संबंध में।

महालेखाकार जांच दलों के द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों के लेखों की जांच में यह पाया गया कि कतिपय सैटलमेन्ट दस्तावेजों में निष्पादक द्वारा एक–एक पक्षकार को पूर्ण स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया, उप पंजीयक द्वारा इस प्रकार के दस्तावेजों को कन्वेन्स में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था, किन्तु उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों को सैटलमेन्ट दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्टाम्प ड्यूटी का कम आरोपण किया गया।

जन लेखा समिति, 2018–19/298 वां प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 5.11 में निर्देश दिये गये है कि ***"समिति सिफारिश करती है कि विभाग के कार्मिकों के द्वारा दस्तावेजों को सैटलमेन्ट विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का त्रुटिपूर्ण कम आरोपण कर राजस्व हानि पहुंचाई जा रही हैं जिस पर कठोरता से रोक लगाई जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से समिति एवं महालेखाकार को अवगत करावें।"***

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2(xi) में दी गई परिभाषा के अनुसारा, प्रत्येक लेख पत्र जिसके द्वारा संपत्ति, चाहे चल हो या अचल, अथवा कोई सम्पदा अथवा किसी सम्पत्ति में हित हस्तांतरित हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति या अन्तर्व्यक्तिशः में निहीत हो तथा जो अनुसूची में अन्यथा विशिष्ट रूप से नहीं दिया गया हो, कन्वेन्स कहलायेगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार, अचल सम्पत्ति से संबंधित कन्वेन्स के लेख्य पत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभारित होगा। धारा 2(xxxiv) सैटलमेन्ट को परिभाषित करती है, जिसके अन्तर्गत व्यवस्थापक के द्वारा अपने परिवार के मध्य अथवा उनको जिनके लिये उसकी इच्छा हो अथवा उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति बांटने के उद्देश्य से अचल संपत्ति का लिखित में वसीयती लेख्यपत्र से भिन्न लेखपत्र का निष्पादन किया जाता है।

उपरोक्त सिफारिश के संबंध में निर्देश दिये जाते है कि सैटलमेन्ट के दस्तावेज के माध्यम से उसके व्यवस्थापक द्वारा अपने स्वामित्व की संपत्ति का व्यवस्थापन(सैटलमेन्ट) अपने परिवार के मध्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति को संपत्ति बांटने के उद्देश्य से, उस दस्तावेज की संपत्ति को अपने परिवार के किसी सदस्य या आश्रित को स्वामित्व/हित/अधिकार हस्तांतरित करता है तो ऐसा दस्तावेज व्यवस्थापन(सैटलमेन्ट) की बजाय हस्तांतरण दस्तावेज की श्रेणी में आने से उस पर उपरोक्त आर्टिकल 21(i) के अनुसार कन्वेन्स के समान स्टाम्प ड्यूटी आरोपित की जाये तथा शेष सदस्यों के मध्य व्यवस्थापन करता है तो उसमें आर्टिकल 51 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी आरोपित की जाये। इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाये। समस्त उप महानिरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि उप पंजीयकों के नियमित निरीक्षण के समय कन्वेन्स के दस्तावेज को सैटलमेन्ट के रूप में वर्गीकृत कर पंजीबद्ध होना पाया जाये तो तत्काल प्रकरण दर्ज कर वसूली की कार्यवाही करें तथा संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव भी इस कार्यालय को भिजवाये।

भविष्य में कन्वेन्स को, सैटलमेन्ट के रूप में वर्गीकृत करते हुए स्टाम्प ड्यूटी आरोपित करने का कोई मामला महालेखाकार/विभागीय जांच दलों अथवा उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में ध्यान में आता है तो संबंधित उप पंजीयक एवं पंजीयन लिपिक के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(रेणू जयपाल)
महानिरीक्षक

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2018–19/विविध/ 3662-4310 दिनांक : 08·02·2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।

4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर को उनके यू.ओ.नोट कमांक एफ.6(983)पी.ए.सी.2013–14 सिफारिश/298वां प्रति./2018–19/1188 दिनांक 30.11.2018 के संदर्भ में।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

महानिरीक्षक